मि.सं.3-3/2020-से.पू.
केंद्रीय हिंदी निदेशालय
शिक्षा मंत्रालय
(उच्चतर शिक्षा विभाग)

पश्चिमी खंड-7, रामकृष्णपुरम,
नई दिल्ली-110066
दिनांकः 23.12.2020

**विषयः- पत्राचार पाठ्यक्रम विभाग की दोनों रिजोग्राफ मशीन सं. RP-3500 तथा RZ- 2300 की मरम्मत एवं रख-रखाव के लिए निविदा प्रपत्र एवं नियम व शर्तें निम्नलिखित होंगीः-**

1. मशीन के सभी पार्ट गुणवत्ता वाले हों। डूप्लीकेट अथवा निम्न स्तर के पार्ट आदि की आपूर्ति पाए जाने पर नियमानुसार आपूर्तिकर्ता के विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही की जा सकती है।
2. प्रस्तुत टेंडर एक वर्ष के लिए मान्य होगा किन्तु अपरिहार्य स्थिति में टेंडर बढाई/घटाई जा सकती है।
3. फर्म द्वारा जो दरें प्रस्तुत की जाएंगी बाद में उनमें किसी भी वृद्धि के अनुरोध को स्वीकार नहीं किया जाएगा।
4. निविदा में दर्शाई गई दरें अनिवार्य रूप से स्पष्ट अंकित करनी होगी ताकि उन्हें आसानी से पढा जा सके। ओवर राईटिंग, अस्पष्ट तथा त्रुटिपूर्ण निविदा निरस्त की जा सकती है। निविदा पत्र पर अपनी दरें प्रस्तुत करें तथा सभी पृष्ठों पर हस्ताक्षर कर संस्था की मुहर लगाएं।
5. GST/TAN/PAN आदि आवश्यक प्रमाण-पत्रों की प्रति संलग्न करें।
6. सामान्यतः न्यूनतम दरों की निविदा को स्वीकार किया जाएगा किन्तु किसी भी टेंडर को स्वीकार/अस्वीकार करने की शक्ति निदेशक, केंद्रीय हिंदी निदशालय या उनके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी में निहित हागी।
7. अपूर्ण एवं सशर्त निविदा मान्य नहीं होगी।
8. अधोहस्ताक्षरी को यह अधिकार होगा कि वे किसी भी ठेके को कभी भी आंशिक रूप से अथवा पूर्ण रूप से रद्द कर सकते है।
9. उक्त कार्य को करने के लिए जिस फर्म को कार्य दिया जाएगा उस फर्म को धरोहर राशि के रूप में रु.10,000/- का बैक ड्राफ्ट "**निदेशक, केंद्रीय हिंदी निदेशालय**" के नाम जमा करना होगा।
10. निविदा के साथ यह घोषणा भी देनी होगी कि फर्म को निदेशालय द्वारा निर्धारित शर्तें जो **परिशिष्ट "क"** पर दी गई हैं स्वीकार हैं।
11. इस कार्य के लिए जो बिल प्राप्त होंगे उनका ई-भुगतान सामान्यतः 45 दिनों के अन्दर कर दिया जाएगा किन्तु अपरिवार्य स्थितियों में विलंब भी हो सकता है जिसके लिए किसी भी अतिरिक्त राशि का भुगतान देय नहीं होगा।

भवदीया,

(रीता देव)
प्रशासनिक अधिकारी